अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

बैरागी उरांव
बनाम
सरकार

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 17/2015–16

वाद का प्रकार :– विविध अपील (Miscellaneous Appeal)

अपीलार्थी श्री बैरागी उरांव, पिता – स्व0 चरवा उरांव, ग्राम – आंजन, थाना + जिला – गुमला के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला के ज्ञापांकं 223/आ0 वा0 दिनांक – 06.08.2015 के पारित आदेश जिसमें उनके जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति सं0 – 25/1993 को रद्द किया गया है, उससे विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील किया गया है।

अपील सुनवाई हेतु स्वीकृत करते हुए सहायक लोक अभियोजक, गुमला को विवेचित मामला में वैद्यिक मंतव्य समर्पित करने का निदेश दिया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला से L.C.R की मांग की गई। उनसे L.C.R प्राप्त हुआ है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 04 लीटर किरासन का मूल्य 80/अस्सी रुपये लेता है तथा बिक्रेता चावल वितरण के दिन ग्राम– आंजन में रहते है एवं बाकी दिन अन्यत्र रहते हैं। बिक्रेता के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना अकारण दुकान बन्द रखा जाता है तथा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान की आपूर्ति किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला द्वारा Bihar Trade Article (Licence Unification) Order 1984 की घारा–11 एवं Public Distribution System(Control) Order 2001 की कंड़िका–7(2) में निहित प्रावघानों के आलोक में श्री वैरागी उरांव ग्राम– आंजन पंचायत –आंजन द्वारा धारित जन–वितरण प्रणाली दुकानदार की अनुज्ञप्ति को निलम्बित किया गया है।

अपीलार्थी प्रश्नगत वाद में लम्बे अवधि से अनुपस्थित हैं जिसके कारण उनका पक्ष को नहीं सुना गया।

अतः यह अपील वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस कर दें।

लेखापित एवं संषोधित,

उपायुक्त,
गुमला

12/09/15

उपायुक्त,
गुमला

12/09/15

Scanned with CamScanner